झारखण्ड सरकार

**झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।**

पत्रांकः– रा0खा0आ0(शि0)–देवघर / PDS–29 / 2022– 189

प्रेषक,

**संजय कुमार**
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

**प्रधान सचिव**
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, रांची।

राँची, दिनांकः– 09/03/23

विषयः– **देवघर जिले के सारवाँ प्रखण्ड में अनाज की कालाबाजारी संबंधी प्राप्त शिकायत पर कार्रवाई के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि शिकायतकर्ता श्री भैये मिर्धा एवं अन्य का शिकायत पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है। शिकायकर्ताओं द्वारा अपने शिकायत पत्र में देवघर जिले के सारवाँ प्रखण्ड के गोदाम मैनेजर, राज्य खाद्य निगम के विरूद्ध माह फरवरी 2023 का NFSA अनाज की कालाबाजारी किये जाने तथा फरवरी 2023 का अनाज नहीं देकर माह मार्च 2023 का अनाज दिये जाने का आरोप लगाया गया है।

अतः प्राप्त शिकायत पत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

**अनु0–यथोक्त।**

विश्वासभाजन

9/3/23

**(संजय कुमार)**
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

D:\Premlata\vinod sir.docx95

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

(12)

सेवा में,

**श्रीमान् सचिव महोदय,**
**झारखण्ड, राँची।**

सेवा में,

**निर्देशक, खाद्य एवं उपभोक्ता निर्देशालय,**
**झारखण्ड, राँची।**

सेवा में,

**सदस्य एवं सचिव**
**राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग, झारखण्ड, राँची।**

28.2.23

292
28.02.23

महाशय,

जानकारी देना चाहता हूँ कि देवघर जिला के सारवाँ प्रखण्ड के गोदाम मैनेजर राज्य खाद्य निगम द्वारा माह फरवरी 2023 का NFSA का अनाज कालाबाजारी में बेच दिया गया है। फरवरी 2023 का अनाज नहीं देकर माह मार्च 2023 का अनाज दिया जा रहा है। डीलर एवं कार्डधारी परेशान है। देवघर जिला में अनाज का भी साईबरी क्राईमर के हवाले हो गया है। जिसे देखने वाला कोई नहीं है। गोदाम मैनेजर को कोई चिन्ता नहीं है, इतने लापरवाह पदा0 आज तक नहीं आया है। जबसे ये आये हैं तब से अनाज कालाबाजारी भयंकर रूप में हो रहा है। गोदाम मैनेजर द्वारा यह कहा जाता है कि ठेकेदार मेरा सारा अनाज बेच दिया है, इसलिये फरवरी 2023 का अनाज नहीं मिला है। आम जनता परेशान लूट–खसोट जोरों पर है।

अतः महोदय से निवेदन है कि दिनांक 17.02.2023 तक माह फरवरी का अनाज नहीं देने की जाँच विशेष अभियान चलाकर कराया जाय ताकि दोषियों के विरूद्ध कठोर कारवाई हो सके।

विश्वासभाजन

(1) [illegible]
(2) [illegible]
(3) Raj Kumar Roy
(4) [illegible]
(5) [illegible]
(6) [illegible]